कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर।

अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004

क्रमांकः– एफ21(2)2018–19/विकास/प्रमुवस/4831 दिनांकः– 19/07/2018

परिपत्र

विगत कुछ वर्षो से प्रायः देखने में आया है कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत इस कार्यालय द्वारा आवंटित राशि का वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्ण उपयोग नहीं किया जाता है तथा कार्य भी अपूर्ण रहते हैं। अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने के लिये अवशेष राशि की मांग आगामी वर्ष में की जाती है, जबकि आवंटित राशि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोग नही होने के कारण लेप्स हो जाती है। जिसका आगामी वित्तीय वर्ष में कोई प्रावधान नहीं रखे जाने के कारण आवंटन संभव नहीं हो पाता है।

इस कार्यालय के द्वारा राशि का आवंटन विभिन्न मॉडलों मे निर्धारित दर से निर्धारित कार्य सम्पादित कराने हेतु किया जाता है। राशि का आवंटन भी सामान्यतः अप्रैल अथवा मई माह में कर दिया जाता है। कार्य आनुपातिक समयानुसार पूर्ण नहीं होने के कारण बचत रहना पूर्णतया अनुचित है। इस कारण अंकेक्षण दल द्वारा आपत्ति की जाती है और महालेखाकार द्वारा ड्राफ्ट पैरा बना दिया जाता है। जिसे जन लेखा समिति द्वारा अत्यन्त गम्भीरता से लिया जाता है।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि आवंटित राशि का वित्तीय वर्ष के दौरान ही पूर्ण उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जावे। यदि आवंटित राशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष के दौरान संभव नहीं हो तो आवंटन के एक माह के भीतर ही अनुपयोगी राशि समर्पित की जावे। ताकि इस राशि का अन्यत्र समय पर उपयोग किया जा सके।

उक्त दिशा निर्देशों की कठोरता से पालना की जावे।

(सी.एस.रत्नासामी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक(HoFF)
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः– एफ21(2)2018–19/विकास/प्रमुवस/4832–942 दिनांकः– 19.7–18

प्रतिलिपिः–

1. समस्त वनाधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि उक्त दिशा निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करें।
2. वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, राज० जयपुर।
3. प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/गार्ड फाइल।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक(HoFF)
राजस्थान, जयपुर।